पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –407 / 2024

उनवान :

1. सुरजीत पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद वर्मा :–वादी
2 राजपैरोकार

डिक्री दिनांक 15/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं0 654 आरडी के खाता सं0 215/179, चकनं0 3 बी.आर.डबल्यू. के खाता सं0 231/199, 232/192 मे दर्ज वादी का नाम व पता सरजीत पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द के स्थान पर दुरूस्त कर सुरजीत पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बेहरवला कलां तथा चक नं0 3 बीआर.डबल्यू. के खाता सं0 240/181 मे दर्ज वादी का पता बेहरवाला खुर्द के स्थान पर सही पता बेहरवाला कलां दर्ज किया जावे। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम व पता ही मान्य होगे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कियदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner